

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 46/2016

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।प्रार्थी
बनाम

1. कालू पुत्र जगन्नाथ कौम ढाली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
2. राममूर्ति पुत्री जगन्नाथ कौम ढाली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
3. भैरू पुत्र नाथू कौम बलाई निवासी निमोद तहसील केकडी जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री शुभकरण सिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक 7.12.2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा आदेश क्रमांक 394-95 दिनांक 16.05.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा में अप्रार्थी सं० 01 से 02 कालू पुत्र जगन्नाथ, राममूर्ति पुत्री जगन्नाथ कौम ढाली निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक को खसरा सं० 338 में से रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आवंटित की गई। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं० 14 के बिन्दू संख्या (11) में मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरुद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के पत्रांक भूमि आवंटन/203 दिनांक 4.7.2016 से आवंटित की गई भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम कोहडा, राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं० 338 में से रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 868 दिनांक 23.7.2012 तथा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने से क्रेता अप्रार्थी संख्या 03 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 898 दिनांक 05.11.2012 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।



जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. अप्रार्थी सं. 01 के फौत होने की सूचना प्राप्त हुई तथा अप्रार्थी सं0 02 के अपने ससुराल में रहने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैनल सरकार ने निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिये जाने से प्रश्नगत भूमि बाबत अप्रार्थी सं0 01 से 02 या उनके वारिसान का कोई हित प्रभावित नहीं होने से समान प्रकृति के अन्य प्रकरण में उपस्थित अप्रार्थी सं0 3 के अभिभाषक को उनके निवेदन अन्तिम निर्णय हेतु सुना गया है। लिहाजा इस प्रकरण में भी अन्तिम निर्णय हेतु सुना जाकर साथ ही निर्णित फरमाया जावे। उपस्थित को सुना गया।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बीसलपुर बांध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकाारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक के आदेश क्रमांक-394-95 दिनांक 16.05.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय का आवंटन अप्रार्थी सं0 01 से 02 को किया गया। जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 01 से 02 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 868 दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 02 द्वारा उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं0 03 को विक्रय किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 898 द्वारा भूमि अप्रार्थी सं0 03 के नाम दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में कोहडा, मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (शुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेरफैरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमि को आवंटन/नियमन योग्य नहीं माना। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकाारी बीसलपुर परिधोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं0 14 के बिन्दू संख्या (11) में मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरुद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकाारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा उक्त आवंटित भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। अतः नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थी सं0 01 से 02 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 868 दिनांक 23.07.2012 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 03 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 898 दिनांक 5.11.2012 नियम विरुद्ध होने से रेफरेन्स स्वीकार फरमाते हुए आवंटन निरस्त करनवाने हेतु प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित किये जावे।

जवाब में क्रेता अप्रार्थी सं0 03 के अभिभाषक ने कथन किया कि वादग्रस्त क्षारालीयात खसरा सं0 338 में से रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय का आवंटन बीसलपुर बांध की डूब में अप्रार्थीगण की आराजियात को अवाप्त किये जाने के बदले में आवंटित की गई है जो कि भूमि के बदले भूमि दिये जाने से उपरोक्त आवंटन, कीमतन आवंटन है जिसके विरुद्ध रेफरेन्स प्रकरण पोषणीय नहीं है। ग्राम कोहडा को मास्टर प्लान का ग्राम घोषित किये जाने एवं स्थानीय निकायों के पेरफैरी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने बाबत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जबकि उपरोक्त आवंटन आदेश पारित किये जाने से पूर्व सभी प्रकार की जांच किये जाने उपरान्त




जिला कलेक्टर
अजमेर


कीमतन आवंटन किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली इस न्यायालय के अधिनस्थ अधिकारी नहीं होने से उपरोक्त रेफरेन्स प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोहडा, राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से नगरपालिका केकडी के पश्चिमीय ग्राम कोहडा के खसरा सं० 338 में से रकबा 0.45 हैक्टेयर का अप्रार्थी सं० 01 से 02 को किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 868 दिनांक 23.07.2012 उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं० 03 को विक्रय किये जाने से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 898 दिनांक 05.11.2012 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 02 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन एवं उक्त आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 868 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 898 नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा, 82 भू-राजस्व अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 7.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।





(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर